



बाल यौन शोषण के संबंध में जागरूकता



बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए शिक्षकों / माता-पिता / अभिभावकों से अनुरोध

“बच्चे हमेशा सच बोलते हैं”

1. पांच महत्वपूर्ण बातों को याद रखें: बच्चों के लिए समय निकालें, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें, उन्हें सिखायें, और उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करें
2. उन्हें अक्सर “सुरक्षित स्पर्श” के बारे में बतायें। आप उन्हें स्नान के समय या जब आपको उनके कपड़े बदलने की जरुरत हो या माता पिता की उपस्थिति में चिकित्सक बच्चों को स्पर्श कर सकते हैं
3. बच्चों को उनके निजी अंगों के सही नामों से उन्हें जल्द से जल्द अवगत करायें
4. अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया है तो आप क्या करेंगे? जल्द बाजी में कोई कदम ना उठाये और शांत रहने की कोशिश करें
5. आप अपने बच्चे को ये भरोसा दिलायें कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है और आप उनके साथ हैं
6. दो वर्ष से ऊपर के बच्चों के सामने निजता बरतनी चाहिए जैसे स्वयं/दुसरों को कपड़े बदलने से बचायें
7. जब भी आपका बच्चा दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता है, तो आप ये जानकारी रखें कि वे किस प्रकार के खेल खेलते हैं
8. अपने बच्चे को सख्ती से निर्देश दें कि वे कहीं भी अकेले न जाएं चाहे वे किसी पहचान वाले व्यक्ति के साथ ही क्यों ना हों और यदि कहीं जाएं तो उसकी अनुमति आप से ले
9. अपने बच्चों को उन लोगों के साथ जाने को मज़बूर ना करें जिनके साथ वे ना जाना चाहे, और अगर आपके बच्चे किसी के साथ ज्यादा घुले-मिले तो आप सतर्क रहें
10. 'लोग क्या सोचेंगे' और 'क्या मैं अति-प्रतिक्रिया कर रहा/रही हूं', ऐसे भ्रमों से बचें
11. जब आप किसी भी अनुचित व्यवहार को देखते हैं, तो आप चुप मत रहिये क्योंकि ये यौन शोषण हो सकता है
12. अपराधी के बारे में पुलिस को सूचित करें यदि आवश्यक हो, तो अपने पड़ोसी की मदद लें

किसी भी प्रकार की सहायता और समर्थन के लिए हेल्पलाइन नंबर "10 9 8" (टोल फ्री (24 * 7)

प्रोजेक्ट बालरक्षक हेल्पलाइन नंबर "9434809040" (7 AM से 9 AM) और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स- "9836300300" (24 * 7, केवल व्हाट्सएप/WhatsApp संदेश) से संपर्क करें।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया देखें <http://ncpcr.gov.in/> और POCSO ई-बॉक्स के माध्यम से शिकायत करें।
डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क करें:

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS (NCPCR)
5th Floor, Chandralok Building 36, Jan path, New Delhi-11 0001 India



क्या आप अपने बच्चों के व्यवहारों और उनमें बदलाव का ध्यान रखते हैं?

“आपके एक संकोच से आपके बच्चे का बचपन खो सकता है”

(पीड़ित बच्चों के संभावित लक्षण)

1. बुरे सपने, नींद की समस्याएं, अत्यधिक भय।
2. अचानक व्यक्ति में बदलाव; नाराज, उदासीन, खाने कि आदतों में बदलाव इत्यादि।
3. एक बड़े बच्चे का एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करता है (उदाहरण के लिए, बिस्तर गीला करना या अंगूठा चूसना इत्यादि)।
4. कुछ स्थानों से जाने से डरना और अज्ञात कारणों से किसी बड़े व्यक्ति के साथ अकेले रहने का विरोध करना।
5. उचित परिस्थितियों में भी जैसे नियमित स्नान, शौचालय या कपड़े बदलने से घबराना।
6. खेलों, लेखों, चित्रों या सपनों में यौन सम्बन्धी या डरावनी चीजों का प्रकट होना।
7. बड़ी के साथ की गयी विशेष बातों को छुपाना।
8. पेट और कमर में दर्द, बिना किसी स्पष्ट लक्षण के।
9. शरीर के यौन अंगों के लिए नए या वयस्क शब्द का उपयोग करना।
10. खिलौनों, वस्तुओं या अन्य बच्चों के साथ यौन सम्बन्धी क्रिया-कलाप करना।
11. किसी विशेष व्यक्ति का बच्चे से विशेष लगाव (उदाहरण के लिए, बिना कारण उपहार या विशेष सुविधा)।
12. जानबूझकर स्वयं को हानि पंहुचाना, जैसे शराब पीना, खुद को चोट पहुँचाना, जलाना, बिना बताये बार-बार कही भाग जाना, इत्यादि।
13. इंटरनेट या मोबाइल के उपयोग को छुपाना।
14. शारीरिक लक्षण जैसे मुंह या यौन अंगों के आसपास घाव का दिखना।

“इससे पहले की बच्चों को कोई नुकसान हो, हमें उनके साथ किसी बड़े के द्वारा किये जा रहे किसी अनुपयुक्त व्यवहार पर ध्यान ‘दैना होगा’”

चुप्पी तोड़िये: और जो सही है उसका पक्ष लीजिये!!!

किसी भी प्रकार की सहायता और समर्थन के लिए हेल्पलाइन नंबर "10 9 8" (टोल फ्री (24 * 7)

प्रोजेक्ट बालरक्षक हेल्पलाइन नंबर "9434809040" (7 AM से 9 AM) और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स- "9836300300" (24 * 7, केवल व्हाट्सएप/WhatsApp संदेश) से संपर्क करें।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए कृपया देखें <http://ncpcr.gov.in/> और POCSO ई-बॉक्स के माध्यम से शिकायत करें।
डाक के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए संपर्क करें:

NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS (NCPCR)
5th Floor, Chandralok Building 36, Jan path, New Delhi-11 0001 India

ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए, इसे लिखें: [**pocsoebox-ncpcr@gov.in**](mailto:pocsoebox-ncpcr@gov.in)

POCSO ई-बॉक्स हेल्पलाइन नं: **9868235077**
